माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1378/04/प्रशा0/MSU/2024–25 दिनांक : 26-11-24

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषयः महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। महाविद्यालय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये मानकानुसार प्राचार्य, शिक्षकों की नियुक्ति एवं आधारभूत सुविधा पूर्ण करते हुये ABACUS UP पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक : 26.05.2022, 28.06.2022, 18.07.2022, 25.07.2022, 11.08.2022, 24.08.2022, 14.10.2022, 10.1.2022, 16.01.2023, 26.08.2023, 05.09.2023, 29.09.2023, 11.10.2023, 04.06.2024, 19.07.2024 एवं 30.07.2024 द्वारा निर्देशित किया गया था।

महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ नामित करा लिये जाते है, किन्तु चयन प्रक्रिया सम्पन्न नहीं करायी जा रही है। साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन कर लिया जाता है, उनको कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। उक्त स्थिति पर शासन द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक नियुक्त कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करते हुये तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही नियुक्त शिक्षकगण का विवरण पूर्ण करते हुये ABACUS UP पोर्टल http://abacus.upsdc.gov.in पर ABACUS UP New Registration पर क्लिक करते हुये तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करना सुनिश्चित करें। पंजीकरण करने के उपरान्त पंजीकरण फार्म डाउनलोड व प्रिंट कर समस्त प्रविष्टियों का सत्यापन करते हुये प्रबन्धक के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ प्रबन्ध समिति का अनुमोदन पत्र, प्राचार्य/शिक्षक की दशा में अनुमोदन पत्र एवं खाते से(बैंक द्वारा निर्गत) भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय में मानकानुसार आधारभूत सुविधा उपलब्ध है। अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
02. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव